स्नातक-शिक्षक चुनाव के लिए 48 बूथों पर आज होगा मतदान

डीएम-एसएसपी ने दिया सख्त निर्देश, सुबह 8 बजे शुरू होगा पोल, बूथ के अंदर मोबाइल पर प्रतिबंध, 450 जवान तैनात

हाजीपुर (आससे)। बिहार विधान परिषद के 04-तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान की घड़ी आ गई है। वैशाली जिले में शुक्रवार 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 48 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए गुरुवार को हाजीपुर प्रखंड परिसर में मतदान दलों की अंतिम संयुक्त बैठक कर सभी टीमों को रवाना कर दिया गया।

बैठक में जिलाधिकारी वर्षा सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि वैशाली जिले में कुल 38,089 मतदाता हैं। इसमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 35,257 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 2,832 मतदाता शामिल हैं। स्नातक के लिए 32 और शिक्षक के लिए 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने मतदान कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो जाना चाहिए। यदि मतदाता कतार में हैं और मतदान शुरू नहीं हुआ तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव को भी गंभीरता से लेना है। यह केवल चुनाव कराना नहीं, बल्कि यह दिखना भी चाहिए कि चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त हो रहा है। अति आत्मविश्वास से बचें और तटस्थ दल की तरह काम करें।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता को वोट देने का अवसर मिले, यह सुनिश्चित करना है। किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। मत की गोपनीयता बनाए रखना सबसे जरूरी है।

बैठक में सख्त चेतावनी दी गई कि मतदान केंद्र के अंदर चल दूरभाष ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस बार चल दूरभाष रखने के लिए धारक नहीं दिया गया है, लेकिन बाहर रखने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यदि केंद्र के अंदर से कोई छायाचित्र या वीडियो प्रसारित होता है तो पूरी मतदान टीम और प्रवेश द्वार पर तैनात जवानों पर कार्रवाई होगी।





वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बताया कि स्वच्छ और भयमुक्त चुनाव के लिए 450 पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

जिले में 16 क्षेत्रीय और 05 अति क्षेत्रीय दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सीमा बंदी और चलंत तैनाती की गई है। मतदाताओं को डराने-धमकाने या लालच देने वालों पर नजर रखी जा रही है। सामाजिक माध्यम पर भी विशेष निगरानी है।

प्रशासन ने बताया कि सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी होगी और पीठासीन पदाधिकारी मतदान अधिकारी एप पर हर गतिविधि दर्ज करेंगे।

मतदान समाप्त होने के बाद मुहरबंद मतपेटिकाएं एमआईटी मुजफ्फरपुर स्थित संग्रह केंद्र पर जमा कराई जाएंगी।

जिला प्रशासन ने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है।

पर्यटन विभाग के जीएम और पटना एसटीएफ एसपी ने हरिहरनाथ मंदिर में मत्था टेका

सोनपुर कोर्ट। विश्व विख्यात हरिहरक्षेत्र सोनपुर स्थित ऐतिहासिक और पौराणिक बाबा हरिहरनाथ मंदिर में गुरुवार शाम बिहार राज्य पर्यटन विभाग के जीएम चंदन चौहान और पटना एसटीएफ एसपी अंजनी कुमार पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने बाबा हरिहरनाथ के संध्याकालीन दिव्य श्रृंगार आरती का दर्शन किया और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। दिव्य आरती का दर्शन लाभ प्राप्त कर दोनों अधिकारियों ने खुद को धन्य महसूस किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ मंदिर की व्यवस्था और गरिमा की सराहना की। इस विशेष अवसर पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर न्यास समिति के सचिव विजय कुमार सिंह %लल्ला% ने मंदिर परिसर में दोनों अतिथियों का भव्य स्वागत किया। उन्होंने पर्यटन विभाग के जीएम चंदन चौहान और एसटीएफ एसपी अंजनी कुमार को अंगवस्त्र और भगवान हरिहरनाथ का प्रतीक चिह्न (मोमेंटो) भेंट कर सम्मानित किया। दर्शन के दौरान मंदिर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद रही।

सोनपुर में लगेगा साहित्य का महाकुंभ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय करेंगे उद्घाटन

हाजीपुर (आससे)। हरिहर की पावन धरती सोनपुर एक बार फिर साहित्यिक चेतना से गूंजेगी। हरिहर क्षेत्रीय चेतना मंच के तत्वावधान में 25 अक्टूबर, रविवार को हरिहर क्षेत्र साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मंच के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप और साहित्यकार सुरेंद्र मानपुरी ने संयुक्त रूप से बताया कि गज-ग्राह चौक स्थित संगत ग्रैंड के सभागार में आयोजित उत्सव का उद्घाटन 10.45 बजे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। उत्सव दो सत्रों में आयोजित होगा। प्रथम सत्र उद्घाटन एवं व्याख्यान सत्र होगा, जिसमें देश के जाने-माने साहित्यकार डॉ. संजय पंकज मुख्य अतिथि होंगे, जबकि डॉ. रणवीर कुमार राजन विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। द्वितीय सत्र काव्य सत्र के रूप में होगा, जिसके मुख्य अतिथि तमिलनाडु हिंदी साहित्य सम्मेलन के महासचिव एवं प्रसिद्ध गीतकार डॉ. ईश्वर करुण होंगे। इस सत्र में गीतकार भगवती प्रसाद द्विवेदी, डॉ. विद्या चौधरी और राहुल शिवाय सहित 20 से अधिक कवि काव्य पाठ करेंगे। सत्र का संचालन डॉ. जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालयके प्राध्यापक एवं ग़ज़लकार डॉ. पंकज कर्ण करेंगे। इस अवसर पर युग चेतना एवं शब्द संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा, नीली आँखों का मायाजाल और हरिहर महाक्षेत्र (अतीत और वर्तमान) पुस्तकों का लोकार्पण किया जाएगा।

पूर्व मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

सं.ः सीआरडब्ल्यू-एचआरटी-एम-सीएमसी-एसपीबी-26-1, दिनांकः 16.10.2026

उप मुख्य यांत्रिक अभियंता, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. कार्य का नाम एवं स्थान : कैरिज रिपेयर वर्कशॉप/हरनौत में "कोचों की पेंटिंग के लिए बिना बेकिंग सुविधा वाले स्प्रे पेंटिंग बूथ का 03 वर्षों लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव का अनुबंध" 2. कार्य के लिए प्राक्कलित राशि : ₹42,40,566/- (रू. बयालीस लाख चालीस हजार पाँच सौ छियासठ मात्र)। 3. निविदा प्रपत्र की राशि : शून्य, 4 अग्रधन की राशि : ₹ 84,800/- (रू. चौरासी हजार आठ सौ रूपये मात्र), 5. निविदा कागजात जमा करने की एवं निविदा खुलने की तिथि एवं समय : निविदा ऑन लाइन https://www.ireps.gov.in वेबसाइट पर प्रस्तुत की जानी है। निविदादाताओं द्वारा निर्धारित तिथि 06.11.2026 को 12:00 बजे तक निविदा प्रस्तुत कर दिया जाय एवं उसी दिन 12:30 बजे निविदा खोली जायेगी, 6 वेबसाइट का विवरण एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहाँ निविदा का पूर्ण विवरण इत्यादि देखा जा सकता है : निविदा सूचना पात्रता मान दंड तथा निविदा प्रलेख क्रिस के वेबसाइट CRIS website: https://www.ireps.gov.in पर देखा जा सकता है, एवं सूचना की पूर्ण जानकारी के लिये मुख्य कारखाना प्रबंधक का कार्यालय, प्रशासनिक भवन, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत, नालंदा, बिहार-803110 के नोटिस बोर्ड में देखें। यदि जरूरी हुआ, तो किसी भी बदलाव का शुद्धि पत्र वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

उप मुख्य यांत्रिक अभियंता/सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/पूमरे/हरनौत

पीआर/1154/सीआरडब्लू-एचआरटी/यां./टी/26-27/44

'ऑपरेशन नीलकंठ' में 9 किलो से अधिक गांजा जब्त

सदर थाना क्षेत्र के चकनूर से तस्कर गिरफ्तार, घर में छिपाकर रखी थी खेप

हाजीपुर (आससे)। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन नीलकंठ' के तहत वैशाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सदर थाना पुलिस ने 9.752 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

गुरुवार को वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बुधवार को सदर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि चकनूर निवासी प्रमोद अपने घर में गांजा की बड़ी खेप छिपाकर रखे हुए है और लंबे समय से कारोबार कर रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-01 सुबोध कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तस्कर के घर पर छापेमारी कर उसे गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान प्रमोद कुमार, पिता सोनेलाल राय, ग्राम-चकनूर वार्ड-06, थाना-सदर, जिला-वैशाली के रूप में हुई है।



इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 735/26 दर्ज कर तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ में उसने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के नामों का खुलासा किया है। पुलिस अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार तस्कर का आपराधिक इतिहास रहा है।

पूमरे के सभी स्टेशनों पर हुआ 'रेल जन संवाद'

महाप्रबंधक डिम्पी गर्ग ने पटना जं. पर लिया यात्रियों से सुझाव

हाजीपुर (आससे)। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर विशेष अभियान-6 के अंतर्गत गुरुवार को देशभर के साथ पूर्व मध्य रेल के सभी स्टेशनों पर 'रेल जन संवाद' का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यात्रियों से सीधा संवाद कर उनकी अपेक्षाओं को जानना और परिसरों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाना है।



अभियान के तहत महाप्रबंधक डिम्पी गर्ग ने पटना जं. पर यात्रियों से संवाद किया। उन्होंने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, शौचालय, पेयजल स्थल और अन्य सुविधाओं की स्वच्छता पर सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों और सुझावों को संकलित कर समीक्षा की जाएगी और समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता कर स्वच्छता और यात्री सुविधा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य रेल बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर दानापुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विनोद कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इसी क्रम में अपर महाप्रबंधक अमरेन्द्र कुमार गया जं. पर उपस्थित रहे और यात्रियों से बातचीत की। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए मुख्यालय, पांचों मंडलों और इकाइयों के स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रमुख स्टेशनों पर मंडल रेल प्रबंधकों और वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य स्टेशनों पर शाखा अधिकारियों और स्टेशन प्रबंधकों ने यात्रियों से प्रतिक्रिया ली।

पांचों मंडलों दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और धनबाद के सभी स्टेशनों पर कार्यक्रम चला। अधिकारियों ने बाहरी क्षेत्र, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म और आवाजाही वाले स्थानों पर जाकर स्वच्छता, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और साफ-सफाई पर सुझाव लिए। मानक प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त सुझावों को दर्ज कर त्वरित समाधान योग्य और संबंधित विभागों से समन्वय वाले मामलों की पहचान कर कार्रवाई पर जोर दिया गया।

पूर्व मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर निम्नलिखित कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम ठेकेदारों से एवं रेल, सिंचाई, सी.पी.डब्लु.डी., एम.ई.एस. अथवा अन्य लोक उपक्रम में रजिस्टर्ड अथवा कार्यरत ठेकेदारों से ऑन-लाइन (ई-निविदा) आमंत्रित करते हैं :-

निविदा सूचना संख्या : डब्लू-7/ई-टेन्डर/12/ओपेन/दानापुर/2026-27

क्रमांक : 01, कार्य के नाम, लोकेशन के साथ : सहायक मंडल इंजीनियर/लाईन/पटना के अधिकार क्षेत्र में गति बढ़ाने के कार्यों के लिए ट्रैक सुरक्षा फेंसिंग (बाड़) की व्यवस्था। अनुमानित निविदा राशि : ₹18,67,44,718.13 बयाना की राशि : ₹37,34,900/-

क्रमांक : 02, कार्य के नाम, लोकेशन के साथ : जोन नं. 09/2026-27 में सहायक मंडल इंजीनियर/लाईन/पटना के अधीन सभी कार्यालय भवन, रेल कॉलोनी तथा आवासों में सभी सामान्य कार्य, पाईन लाईन, एवं सफाई कार्य, लकड़ी कार्य तथा संबंधी कार्य हेतु जोनल ठेका। अनुमानित निविदा राशि : ₹52,00,000/-, बयाना की राशि : ₹1,04,000/-

क्रमांक : 03, कार्य के नाम, लोकेशन के साथ : सहायक मंडल अभियन्ता/मुख्यालय/दानापुर के अंतर्गत दानापुर में DRM बिल्डिंग ऑफिस चैंबर और अन्य सर्विस बिल्डिंग की विशेष मरम्मत और नवीनीकरण। अनुमानित निविदा राशि : ₹4,81,12,549.95/-, बयाना की राशि : ₹9,62,300/-

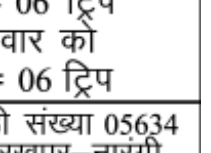
निविदा जमा करने और निविदा खोलने की तिथि एवं समय : निविदा ऑन लाइन www.ireps.gov.in पर प्रस्तुत की जानी है। निविदाताओं द्वारा निर्धारित तिथि 10.11.2026 को 12.00 बजे तक निविदा प्रस्तुत कर दिया जाय एवं उसी दिन निविदादाताओं के समक्ष निर्धारित तिथि को 12.00 बजे के बाद निविदा खोली जायेगी। वेब साईट का नाम एवं निविदा संबंधी सूचना : 1. निविदा सूचना पात्रता मान दंड तथा निविदा प्रलेख क्रिस के वेब साईट CRIS website: http://www.ireps.gov.in देखा जा सकता है, एवं सूचना की पूर्ण जानकारी के लिये कार्यालय के नोटिस बोर्ड में देखें। उपरोक्त निविदा से संबंधित संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो, इसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेग, बल्कि वेब साईट पर अप लोड किया जायेगा। 2. विवाद की स्थिति में हिन्दी एवं अंग्रेजी में दी गई सूचना में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल में प्रकाशित सूचना मान्य होगा। संशोधन के लिए वेब साइट देखने और तदनुसार अपनी निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदाकारों की जिम्मेदारी है।

मंडल रेल प्रबंधक (इजी.)/ पूमरे/दानापुर

पीआर/1151/डीएनआर/अभि./टी/26-27/64

पूर्वोत्तर रेलवे अधिसूचना सं.: 169/2026

रेल यात्री बन्धुओं के लिये आवश्यक सूचना



सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए साप्ताहिक **त्योहार विशेष गाड़ी** का संचलन निम्नलिखित समय एवं ठहराव के अनुसार किया जायेगा :-

05633/05634 नारंगी-गोरखपुर-नारंगी आरक्षित त्योहार विशेष गाड़ी

गाड़ी सं. 05633 नारंगी से प्रत्येक शुक्रवार को दिनांक 23.10.2026 से 27.11.2026 तक = 06 ट्रिप
गाड़ी सं. 05634 गोरखपुर से प्रत्येक रविवार को दिनांक 25.10.2026 से 29.11.2026 तक = 06 ट्रिप

गाड़ी संख्या 05633 नारंगी-गोरखपुर		स्टेशन	गाड़ी संख्या 05634 गोरखपुर-नारंगी	
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
-	**20:00**	नारंगी	**03:00**	-
20:20	20:30	गुवाहाटी	01:30	01:40
20:45	20:47	कामाख्या	01:10	01:12
21:30	21:35	रंगिया	23:47	23:52
22:25	22:27	बरपेटा रोड	22:45	22:47
23:15	23:25	न्यू बोंगाईगांव	22:00	22:10
00:22	00:24	कोकराझार	21:20	21:22
01:20	01:22	न्यू अलीपुरद्वार	20:03	20:05
01:40	01:45	न्यू कूचबिहार	19:40	19:45
04:35	04:45	न्यू जलपाईगुड़ी	17:30	17:40
05:26	05:28	अलुआबाड़ी रोड	16:18	16:20
05:52	05:54	किशनगंज	15:50	15:52
07:04	07:06	बारसोई	15:08	15:10
09:00	09:10	कटिहार	14:15	14:25
09:55	09:57	नवगछिया	11:50	11:52
11:18	11:20	मानसी जंक्शन	10:22	10:24
11:30	11:32	खगड़िया जंक्शन	10:10	10:12
12:02	12:04	बेगूसराय	09:33	09:35
12:40	12:50	बरौनी जंक्शन	09:05	09:15
13:40	13:42	शाहपुर पटोरी	07:45	07:47
15:00	15:05	हाजीपुर	06:55	07:00
15:15	15:17	सोनपुर	06:43	06:45
17:20	17:30	छपरा	05:10	05:20
18:40	18:45	सीवान जंक्शन	04:00	04:05
19:20	19:22	भटनी	03:23	03:25
19:55	20:00	देवरिया सदर	02:40	02:45
20:30	20:32	चौरी चौरा	02:13	02:15
21:40	-	**गोरखपुर जंक्शन**	-	**01:10**

रेक संरचनाः जनरेटर सह लगेज यान-01, सामान्य द्वितीय श्रेणी-20 एलएसएलआरडी-01 = कुल 22 कोच।

मुजाधि/टी-65 **मुख्य यात्री परिवहन प्रबन्धक, गोरखपुर**

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

सम्राट अशोक अवार्ड से नवाजे गये जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सेराज अहमद कुरैशी

भगवानपुर (वैशाली) (आससे)। सम्राट अशोक अवार्ड से नवाजे गए इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी। उन्हें यह अवार्ड पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने, पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक न्याय के लिए संघर्षशील रहने की उपलक्ष्य में प्रदान किया गया है। सेराज अहमद कुरैशी जी को मिला यह सम्मान पत्रकारिता क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उन्हें यह अवार्ड दि बुद्धिष्ट सोसायटी ऑफ इंडिया (भारतीय बौद्ध महासभा) गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के सौजन्य से प्रदान किया गया है। श्री कुरैशी इंडिया खबर एवं बेबाक सहाफी समाचार पत्रों के सम्पादक भी हैं। वे हमेशा से पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, अधिकारों, चिकित्सा, आवास, पेंशन और कल्याणकारी सुविधाओं के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उन्हें %सम्राट अशोक अवार्ड% प्राप्त होने से पत्रकारिता जगत और बुद्धिजीवी वर्ग में खुशी की लहर है। इसके लिए इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वैशाली जिला अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला महासचिव नरोत्तम कुमार, जिला मीडिया प्रभारी अजीत कुमार, पवनदेव यादव, प्रणव कुमार हरपुरि, राज नारायण यादव, सुबोध कुमार, अरविन्द कुमार, भिखारी सिंह, विकास कुमार, बलवीर कुमार, रत्नेश कुमार, सुजीत पटेल सहित अन्य लोगों ने श्री कुरैशी को बधाई दिया है। इन लोगों ने ये भी आश्वासन दिया है कि पत्रकारिता हित की लड़ाई में हमलोग हमेशा श्री कुरैशी जी के साथ खड़े रहेंगे।



अभियुक्ता की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्ता **श्रीमती सरोज कुमारी आनंद गुप्ता,** पत्नी: आनंद गुप्ता, निवासी: जैन मंदिर के पास, दुर्गा शंकर रोड, गया, बिहार-823001 ने **सीसी एनआई अधिनियम 5363/2022 धारा 138 एनआई एक्ट थाना हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **श्रीमती सरोज कुमारी आनंद गुप्ता** मिल नहीं रही है, और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **श्रीमती सरोज कुमारी आनंद गुप्ता** फरार हो गयी है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रही है)। इसके खिलाफ माननीय अदालत द्वारा **धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** की कार्यवाही जारी हो चुकी है। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **सीसी एनआई अधिनियम 5363/2022 धारा 138 एनआई एक्ट थाना हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली** की उक्त अभियुक्ता **श्रीमती सरोज कुमारी आनंद गुप्ता** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **25.11.2026** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार: श्री अनुराग छाबड़ा,
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (एनआई अधिनियम)-06,
कक्ष सं. 32, दक्षिण-पूर्व जिला,
साकेत कोर्ट, नई दिल्ली।

DP/14845/SE/2026

पूर्व मध्य रेल

पेंशन अदालत 15.12.2026 हेतु सूचना

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31.10.2026

पेंशन परिवादों के निष्पादन के लिए पेंशन अदालत का आयोजन 15 दिसंबर 2026 (मंगलवार) को 11:00 बजे निम्नलिखित स्थलों पर किया जायेगाः

क्र.सं.	पेंशन अदालत हेतु आयोजन स्थल	उनके लिए जो निम्न जगह से सेवानिवृत्त हुए	आवेदन किसे संबोधित करे (परिवाद निम्नलिखित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए)
1	जोनल मुख्यालय/पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर	मुख्यालय कार्यालय /पूर्व मध्य रेल/ हाजीपुर	उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (आई.आर.एण्ड.डब्ल्यू) पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर
2	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, सोनपुर	सोनपुर मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीतकृत स्थापनाएं	वरि० मंडल कार्मिक अधिकारी/ पूर्व मध्य रेल/सोनपुर
3	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर	समस्तीपुर मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीतकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/ पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर
4	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, धनबाद	धनबाद मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीतकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/ पूर्व मध्य रेल/धनबाद
5	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, डीडीयू	डीडीयू मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीतकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी पूर्व मध्य रेल/डीडीयू
6	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, दानापुर	दानापुर मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीतकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/ पूर्व मध्य रेल/दानापुर
7	यांत्रिक कारखाना/पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर	यांत्रिक रेल कारखाना, समस्तीपुर	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/पूर्व मध्य रेल/ यांत्रिक कारखाना, समस्तीपुर
8	प्लांट डिपो /पूर्व मध्य रेल, डीडीयू	प्लांट डिपो, डीडीयू	उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/पूर्व मध्य रेल/प्लांट डिपो, डीडीयू
9	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण कार्यालय पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रूघाट/ पटना	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण कार्यालय/पूमरे/महेन्द्रूघाट/पटना	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/निर्माण/पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रूघाट/पटना
10	मुख्य कारखाना प्रबंधक, कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत	मुख्य कारखाना प्रबंधक सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत	मुख्य कारखाना प्रबंधक/सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/हरनौत

उक्त पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए कृपया अपना पूरा विवरण निम्न प्रारूप में संबंधित कार्मिक अधिकारी को दिनांक 31.10.2026 तक समर्पित करें।

1	आवेदक का नामः-	8	सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/ स्वैच्छिक /अनिवार्य):-
2	भूतपूर्व कर्मचारी का नामः-	9	भू०पू० कर्मचारी की मृत्यु की तिथिः-
3	पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थलः-	10	अंतिम वेतन एवं वेतनमानः-
4	भू०पू० कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंधः-	11	वर्तमान पताः-
5	सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रक अधिकारीः-	12	पेंशन भुगतान आदेश संख्याः- (प्रति संलग्न करें)
6	सेवानिवृत्ति की तिथिः-	13	शिकायतों का विस्तृत विवरणः-
7	आवेदक का मोबाईल संख्या	14	आवेदक का हस्ताक्षर

अपनी शिकायत एक लिफाफा में ऊपर दिये गये प्रारूप में जिसके ऊपर **पेंशन अदालत 15.12.2026** लिखा हो, उपरोक्त संबंधित कार्मिक अधिकारी को भेजें जिसे दिनांक 31.10.2026 तक अथवा इसके पूर्व उन्हें अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि वे शिकायतों जो पेंशन से जुड़ी नहीं हैं जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तों एवं वेतन की बढोतरी आदि, पेंशन अदालत के विचारणीय नहीं होगी।

सेवानिवृत्त जीवन के 15 वर्ष पूरा कर चुके सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी कृपया ध्यान देंः- सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कम्यूटेशन (सांराशीकरण) की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने पर पेंशन (वर्तमान पेंशन + सांराशीकरण) के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरण पदाधिकारी (अर्थात् बैंक /डाकघर आदि) से सीधा सम्पर्क करें।

सहायक कार्मिक अधिकारी/एमपीपी पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

पीआर/1149/एचक्यू/कार्मिक/एन/26-27/216

वर्गीकृत

खोया-पाया

मैं राजू कुमार झा, पिता बलराम झा, मलाड, थाना-किशनपुर, जिला- सुपौल का स्थाई निवासी हूँ। मैं अभी HDFC Bank, किशनगंज में कार्यरत हु। मेरे द्वारा ब्लू डार्ट कुरियर (पीओडीए 17674150605) के माध्यम से सीबेक कुमार सिंहा, जिसका आईडी संख्या- 260466320710950 भेजा गया था, लेकिन कुरियर के दौरान ये आईडी कार्ड कहीं गुम हो गया है, काफी खोजबीन करने के बाद भी आईडी कार्ड का पता नहीं चल पाया है। जिनको भी यह मिले कृपया मोबाइल नंबर 8789314784 पर संपर्क करें। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। सनहा नंबर-1129/26, दिनांक-16/10/26, आदर्श थाना, किशनगंज।

शपथ-पत्र

मैं, छाया पाण्डेय उर्फ छाया रानी, पति-प्रणव विवेक, सुपुत्री श्री राम नरेश तिवारी निवासी-अम्बालय, गरीब स्थान रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार- 842001, की स्थायी निवासी हुँ, शपथ पत्र सं.-**818**, दिनांक-**12.10.2026** के द्वारा घोषणा करती हुँ, कि मेरे शैक्षणिक सर्टीफिकेट में मेरा नाम छाया रानी है और मेरे आधार कार्ड/पैन कार्ड एवं वोटर आईडी में छाया पाण्डेय है, मैं छाया पाण्डेय और छाया रानी दोनों एक ही महिला हुँ, भविष्य में अब मैं **छाया पाण्डेय** के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

नाम परितर्वन

मैं, हसरत खातून, पति-मो. अफजल खां, निवास ग्राम-मखदुमकुण्ड क्षेत्र राजगीर, पो.+ थाना-राजगीर, जिला-नालंदा (बिहार)। शपथ पत्र सं.-1803 ता. 27.8.26 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि मेरी पुत्री का नाम तहजीव खातून (Thajiva Khatun), आधार कार्ड में गलत अंकित है। मेरी पुत्री का सही नाम तेहजीब खातून (Tehzeeb Khatun) है जो सही है।

शपथ पत्र

मैं, द्रौपदी देवी (Draupadi Devi) पति जवाहिर, ग्राम-ओड़ियाचक पो.-बुधौल, थाना-कासमा, जिला-औरंगाबाद, बिहार, शपथ पत्र सं.-30609 दि. 21.10.26 द्वारा सूचित करती हूं कि मेरे पति के पी.पी.ओ. में मेरा नाम द्रौपदी देवी अंकित है आधार कार्ड सं.-407790917651 में भूलवश देवपतिया देवी (Devpatiya Devi) तथा जन्म तिथि 01.01.1950 दर्ज हो गया है। मेरा सही नाम द्रौपदी देवी एवं जन्म तिथि 12.05.1952 है। जो मेरे पति के सर्विस बुक में अंकित है।

नाम परितर्वन

मैं, मो. आसिफ खान (Md Asif Khan) पिता मो. इसरार खान निवास तुर्कपुरवा पो.-महदाह थाना मुफ्फसिल जिला-बक्सर शपथ पत्र सं. 2021 ता. 30.10.26 द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम मो. आसिफ खान है जो सही है। मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम-आसिफ खान एवं मेरे पिताजी का नाम-इसरार खान अंकित हो गया है जो गलत है। मेरा सही नाम मो. आसिफ खान (Md Asif Khan) एवं मेरे पिताजी का सही नाम मो. इसरार खान (Md Israf Khan) है।

पाठकों से

'आज' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वत: जांच करके कार्य करें। इसके संबंध में कोई भी दावा 'आज' प्रकाशन पर न होगा।

प्रबंधक

नाम परिवर्तन

मैं, अब तक रामाजी यादव पुत्र बहारन यादव के नाम से जाना जाता हूं। मैं ग्राम हिरान्दा, पो.-मनिआरा, थाना-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज (बिहार) (घर का पता) पर रहता हूं। मैं अपना नाम बदल लिया है और इसके बाद मैं रमेश यादव पिता बहारन यादव ग्राम हिरान्दा, पो.-मनिआरा, थाना-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज (बिहार) से जाना जाऊंगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस संबंध में अन्य कानूनी आवश्यकताओं को अनुपालन किया है। शपथ पत्र सं. 146/16.10.26

9/614/26

Change Name

I, Ujjwal Kumar S/o Nagendra Singh, R/o vill.-Kaithi, Kachhawa, Rohtas-821309 vide Affidavit No. 16936 date 29.10.26 declare that in my Policy Generali central life insurance com. Ltd. Policy No. 01037823 my date of Birth has been mentioned as 10.12.2007 and my name is Ujala Kumar which is wrong. My correct date of Birth is 5.9.2005 and my correct name is Ujjwal Kumar.

CM-923

Affidavit

I, Ehteshamul Haque Hashmi, aged about 55 years, son of Late Syed Anwarul Haque, resident of vill.+P.O.+P.S.-Daudpur, District-Saran, Bihar-841205, Aadhar No.-559830410485 do hereby solemnly affirm and declare as follows :- 1. That Safa Hashmi is my daughter. 2. That in her Aadhar card her name has been wrongly mentioned as SAF A ENTESHAM. 3. That my daughter correct name is Safa Hashmi. 4. That now my daughter will known as Safa Hashmi for all purposes.

CM-935

रामपुर खरेया प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड

प्रखंड कुचायकोट, जिला-गोपालगंज, निबंधन संख्या-147 (गो.), दिनांक 06.08.2008

आवश्यकता है

रामपुर खरेया पैक्स (कुचायकोट) में प्रबंधक के एक पद हेतु भर्ती होनी है। आवेदन की तिथि 23.10.2026 से 07.11.2026 तक निर्धारित है। **उम्र सीमा :** 18 से 45 वर्ष, **योग्यता :** स्नातक+टैली, **मानदेय :** सेवा नियमावली के अनुसार। **सेवा शर्तें :** पैक्स कार्मिक नियमावली के अनुसार। **आवेदन :** रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या पैक्स कार्यालय, रामपुर खरेया में जमा किया जा सकता है।

ह./-
पैक्स अध्यक्ष
मोबाइल नंबर : 9955682178

9/614/26

शपथ पत्र

मैं विनोद कुमार वल्द स्व. नगीना प्रसाद सा.- दामोदरपुर, पो.- कोरावाँ, थाना- चिकसौरा, जिला- नालंदा, पिन- 801302 का निवासी हूं, शपथ-पत्र संख्या -17586 दिनांक-15-10-2026 के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मेरा जन्म तिथि -10-3-1974 हैं, मैं पूर्व में विनय कुमार उर्फ विनोद कुमार दोनो नामों से अपने गाँव जेवार पंचायत में जाना जाता था परन्तु अब मै सिर्फ एक ही नाम विनोद कुमार से जाना व पहचाना जाउंगा।

शपथ पत्र

मैं गोरख सिंह, पिता-राम वचन सिंह, ग्राम+पोस्ट-जमोढी, थाना-पीरो, जिला-भोजपुर का निवासी हूँ। आधार कार्ड व बैंक खाता में मेरा नाम गोरख सिंह दर्ज है। जबकि एलआइसी पॉलिसी संख्या-519019086 में मेरा नाम राज किशोर सिंह दर्ज है। गोरख सिंह और राज किशोर सिंह दोनों नाम मेरा ही है। शपथ पत्र संख्या-15/2.9.26

9/482/26

शपथ पत्र

मैं, ललिन्द्र कुमार पिता-कमल दास, ग्राम-गौरीपुन्दह, पो.-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला-पटना बिहार, शपथ पत्र सं. 6372 दि. 21.10.26 द्वारा यह सूचित करता हूं कि मेरे आधारकार्ड एवं अंक प्रमाण पत्र में मेरा नाम ललिन्द्र कुमार अंकित है। मेरे दूसरे आधारकार्ड में ललिन्द्र रविदास अंकित है, जो गलत है। मेरा आधार सं. 357228652917 है। आज से मैं ललिन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

शपथ पत्र

मैं, रंजीत कुमार यादव उर्फ धनजी सिंह, पिता-वृदा यादव साकिन+पो.-हेतमपुर थाना-तियर भोजपुर बिहार शपथ पत्र सं. 3755 दि. 01.04.19 सूचित करता हूं कि मेरे आधारकार्ड सं. 633565969960 में मेरा नाम रंजीत कुमार यादव है। मेरे एसबीआई खाता सं. 31301834253 में धनजी सिंह है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, जो मैं स्वयं हूं। मैं दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता हूं।

शपथ पत्र

मैं, खुर्शीद आलम, पिता-स्व. म. अली इमाम ग्राम+पो.-चुड़ी मुहल्ला वार्ड नं.-08 मीरगंज, जिला-गोपालगंज बिहार शपथ पत्र संख्या-46862 दिनांक 16.09.2026 के द्वारा घोषणा करता हूं कि खुर्शीद आलम उर्फ खुरसेद अनवर दोनों नामों से जाना और पहचाना जाता हूं तथा मेरे पिता स्व. म. अली इमाम उर्फ अली इमाम दोनों नामों से जाने एवं पहचाने जाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी संख्या 826123778 में मेरा नाम खुर्शीद आलम है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता में मेरा नाम खुरसेद अनवर है।

9/600/26